उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर अधिनियम, १९५७

[उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक २० सितम्बर, १९५७ ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक ११ अक्तूबर, १९५७ ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

[भारत संविधान के अनुच्छेद २०० के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक ३० अक्तूबर, १९५७ ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक १ नवम्बर, १९५७ ई० को प्रकाशित हुआ।]

वृहत्-जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि वृहत्-जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली करने की व्यवस्था की जाय ;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक ६ सितम्बर, १९५७ ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह जुलाई, १९५७ के प्रथम दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर--

(१) "जोत" (land-holding) का अर्थ वही है जो उसे धारा ४ में दिया गया है;

(२) "वार्षिक मूल्य" (annual value) का वही अर्थ है जो उसे धारा ५ में दिया गया है;

(३) "करदाता" (assessee) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति (land holder) से है जिसके द्वारा जोत-कर देय हो तथा उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, करदाता के अन्तर्गत क्षेत्र-पति का विधिक प्रतिनिधि (legal representative) भी है;

(४) "कर-निर्धारक-प्राधिकारी" (assessing authority) का अर्थ वही है जो उसे धारा ६ में दिया गया है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१।

(५) "असिस्टेंट कलेक्टर आफ दि फर्स्ट क्लास" का अर्थ वही है जो उसे यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिया गया है;

(६) "कलेक्टर" के अन्तर्गत एडीशनल कलेक्टर भी है;

(७) "कमिश्नर" के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर भी है;

ऐक्ट संख्या ११, १९२२।

(८) "कम्पनी" का तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है, जिसकी परिभाषा इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ में की गई है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(९) "सहकारी फार्म" (Co-operative Farm) का तात्पर्य ऐसे सहकारी फार्म से है जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ११ के उपबन्ध लागू हों;

ऐक्ट संख्या २, १९१२।

(१०) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड हो और इसके अन्तर्गत सहकारी फार्म (Co-operative Farm) भी है;

ऐक्ट संख्या ९, १९३२।

(११) "फर्म" का वही अर्थ है जो उसे इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, १९३२ में दिया गया है;

(१२) "हिस्सेदार" का वही अर्थ है जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों (land tenure) से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत परगना असकोट के

गुजारेदार तथा प्रतिबन्धरहित दाय से मिली सम्पत्तियों के गृहीता (holders of fee-simple estates) भी हैं;

(१३) "जोतकर" (holding-tax) का वही अर्थ है जो उसे धारा ३ में दिया गया है;

(१४) "मध्यवर्ती" (intermediary) का तात्पर्य किसी स्वामी (proprietor), मातहतदार (under proprietor), अवना-मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार (thekedar), अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Oudh), दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) अथवा हिस्सेदार (hisseder) से है;

(१५) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे उस पर मालगुजारी निर्धारित हो या न हो, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यान-करण (horticulture), पशु-पालन, मत्स्य संवर्धन (pisciculture) अथवा कुक्कुट-पालन (poultry farming) से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये हो और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसमें खेती न होती हो (uncultivated land) और जो किसी व्यक्ति के अधिकार में क्षेत्रपति (land-holder) के नाते हो;

(१६) 'क्षेत्रपति' (land-holder) का तात्पर्य--

(१) किसी मध्यवर्ती से है यदि भूमि उसकी खुदकाश्त (personal cultivation) में हो अथवा उसके पास सीर, खुदकाश्त या बाग (grove) के रूप में हो, तथा

(२) अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से भिन्न हैसियत से भूमि पर अधिकार अथवा अध्यासन रखता हो--

(क) असामी,
(ख) शिकमी-काश्तकार (sub-tenant),
(ग) सीर का काश्तकार, अथवा
(घ) सीरतान (sirtan)।

और इसके अन्तर्गत यथास्थिति प्रबन्धक अथवा मुख्य अधिकारी (a manager or a principal officer) हैं;

स्पष्टीकरण---इस खंड में असामी के अन्तर्गत गांव-समाज का असामी नहीं है।

(१७) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो शब्द "legal representative" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में दिया गया है; ऐक्ट सं० ५, १६०८।

(१८) किसी कम्पनी या एसोसिएशन के सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्द "मुख्य अधिकारी" (principal officer) का तात्पर्य निम्नलिखित से है --

(१) कम्पनी या एसोसिएशन का सेक्रेटरी, खजांची, प्रबंधक अथवा अभिकर्ता (agent), अथवा

(२) कम्पनी या एसोसिएशन से सम्बद्ध कोई व्यक्ति जिस पर कर-निर्धारक-प्राधिकारी ने अपने इस इरादे का नोटिस तामील किया हो कि उसे उसका मुख्य अधिकारी माना जायगा;

(१९) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है;

(२०) "सीरतान" (sirtan) का वही अर्थ है जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि में उसे दिया गया है ;

(२१) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश को सरकार से है ;

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९०१ ।

(२२) "सब-डिवीजनल आफिसर" का तात्पर्य यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त सब-डिवीजन के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर आफ दि फर्स्ट क्लास (Assistant Collector of the first class in-charge of a sub-division) से है तथा इसके अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त निर्दिष्ट कोई दूसरा असिस्टेंट कलेक्टर आफ दि फर्स्ट क्लास भी है;

यू० पी० ऐक्ट १७,१९३९।

(२३) पद "कृषि वर्ष", "बाग", "खुदकाश्त", "दवामी काश्तकार", "अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी", "स्वामी", "स्वीकृत मौरूसी दरें", "शिकमी काश्तकार", "अदना मालिक", तथा "मातहतदार" के वही अर्थ हैं जो क्रमशः पद ठेकेदार "Agricultural year", "grove", "Sudkasht", "permanent tenure-holder", "permanent lessee in Avadh", "proprietor", "sanctioned hereditary rates", "sub-tenant", "sub-proprietor", "thekedar" and "under-proprietor" को यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये हैं, तथा

उ० प्र० अधि-नियम संख्या १, १९५१ ।

(२४) पद "असामी" और "गांव समाज" के वही अर्थ हैं जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, में उन्हें दिये गये हैं।

अध्याय २

जोत-कर का लगाया जाना

जोत-कर का भारित किया जाना।

३—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी एतत्पश्चात् व्यवस्था की गई है, प्रत्येक जोत (land holding) के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कृषि वर्ष के निमित्त अनुसूची में निर्दिष्ट दर से कर, जिसे एतत्पश्चात्, "जोत-कर" कहा गया है, भारित किया जायगा, लगाया जायगा तथा अदा किया जायगा (shall be charged, levied and paid):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक न हो ।

(२) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले जोत-कर में किन्हीं जोतों के वर्ग अथवा वर्गों के सम्बन्ध में, जैसा नियत किया जाय, पूर्णतः अथवा अंशतः ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, तथा उतने बार जिन्हें वह आवश्यक समझे, छूट दे सकती है (remit) अथवा उसे माफ (exempt) कर सकती है।

(३) उपधारा (१) के प्रतिबन्धक के अधीन भूमि का क्षेत्रफल आकलित करने के लिये ऐसी भूमि की, जिस पर इमारत हो, उससे संलग्न भूमि सहित, किन्तु ५ एकड़ से अनधिक, गणना नहीं की जायगी।

४--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "जोत" (land holding) का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय (the aggregate of all land) से है जो प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति (landholder) के अधिकार या अध्यासन में हो, चाहे वह स्वयं क्षेत्रपति के नाम में हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में हो, और ऐसी समस्त भूमि उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी : जोत (Land holding)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि जो क्षेत्रपति के परिवार के किसी सदस्य के अधिकार या अध्यासन में हो, उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग नहीं होगी, यदि उसका प्रबन्ध और उस पर खेती पृथक रूप से की जाती हो।

स्पष्टीकरण--(१) इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं--

(क) माता,

(ख) पत्नी,

(ग) अविवाहिता पुत्री या पौत्री,

(घ) पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र,

(ङ) पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी।

स्पष्टीकरण--(२) ऐसी भूमि जो किसी ऐसे निगमित संघ (incorporated association) के, जो सहकारी समिति (Co-operative society) से भिन्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १८६० के अधीन निबन्धित (registered) संस्था (society) या संघ (association) है, या किसी कम्पनी या किसी फर्म के अधिकार में हो, एक ही जोत समझी जायगी। ऐक्ट संख्या २१, १८६०।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, यदि भूमि दो या अधिक व्यक्तियों के या किसी सहकारी समिति (Co-operative society) के अधिकार या अध्यासन में हो तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, ऐसे व्यक्ति का या सहकारी समिति के किसी सदस्य का उस भूमि में हिस्सा पृथक रूप से उसके अधिकार में समझा जायगा और ऐसे व्यक्ति की या सदस्य की, जैसी भी स्थिति हो, जोत का भाग होगा।

स्पष्टीकरण--सहकारी फार्म (Co-operative farm) की दशा में पद "भूमि में हिस्सा" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो उक्त फार्म के किसी सदस्य द्वारा या उस की ओर से अंशदान के रूप में, फार्म को दी गई हो।

वार्षिक मूल्य (annual value)।

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, किसी जोत का वार्षिक मूल्य ऐसी धनराशि समझा जायगा जो तदन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों के लिये देय लगान को ऐसे गुणक (multiple) से गुणा करने पर प्राप्त हो, जो यथा नियत साढ़े बारह से अधिक न हो, और विभिन्न जिलों अथवा जिले के भागों अथवा जोत के अन्तर्गत भूमियों के विभिन्न वर्गों के निमित्त विभिन्न गुणक नियत किये जा सकते हैं।

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, देय लगान, जोत के अन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों पर लागू स्वीकृत मौरूसी दरों पर आकलित धनराशि समझा जायगा अथवा जहां स्वीकृत मौरूसी दरें न हों तो ऐसे सिद्धांतों पर आकलित धनराशि जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, उन दरों को, जो जुलाई १९२७ के प्रथम दिनांक से पूर्व स्वीकृत हुये थे, ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो पचास से अधिक न हो, और जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट किया जाय और भूमि के विभिन्न वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

अध्याय ३

जोत-कर का निर्धारण

कर-निर्धारक प्राधिकारी (assessing authority)।

६--(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त कर-निर्धारक-प्राधिकारी वह सब-डिवीजनल आफिसर होगा जिसके क्षेत्राधिकार में क्षेत्रपति साधारणतया रहता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर आफ दि फर्स्ट क्लास, जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण जिले में अथवा उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारक-प्राधिकारी को प्रदत्त हों, किसी अन्य कर-निर्धारक-प्राधिकारी के होने पर भी अनन्य रूप से प्रयोग करे;

और प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्रपति साधारणतया उत्तर प्रदेश में न रहता हो तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी, उस तहसील (sub-division) का जिसके अन्तर्गत जोत स्थित हो सब-डिवीजनल आफिसर अथवा उस तहसील (sub-division) में क्षेत्राधिकार युक्त असिस्टेन्ट कलेक्टर, यथास्थिति होगा, और यदि जोत एकाधिक जिलों अथवा तहसीलों में स्थित हो तो यथास्थिति, ऐसे सब-डिवीजनल आफीसरों अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टरों में से कोई एक जिसे क्षेत्रपति नियत रीति से स्वेच्छया चुने। इस प्रकार प्रयुक्त स्वेच्छा (option) सिवाय ऐसे प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के, जिसे नियत किया जाय, परिवर्तित नहीं की जायगी;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब पूर्वोक्त स्वेच्छा का प्रयोग न किया गया हो अथवा जहां यह प्रश्न उठाया जाय कि कर-निर्धारक-प्राधिकारियों में से कौन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे, तो यह विषय ऐसे प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, उसके निर्णय के निमित्त, जो अंतिम होगा, अभिदिष्ट किया जायगा।

(२) यदि क्षेत्रपति उस तहसील से भिन्न तहसील में, जिसमें वह साधारणतया रहता हो, कर-निर्धारण कराना चाहे तो वह ऐसी अनुज्ञा के निमित्त--

(क) यदि वह तहसील जिसमें वह रहता हो और वह तहसील जिसमें वह कर-निर्धारण कराना चाहता हो एक ही जिले में हो, तो जिले के कलेक्टर को, और

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसे प्राधिकारी को जिसे नियत किया जाय--

प्रार्थना-पत्र देगा।

(३) यदि उस प्राधिकारी के विचार में जिसे प्रार्थना-पत्र दिया गया है ऐसा करना कर-निर्धारण के सुविधा-पूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण में सहायक होगा तो उप-धारा (२) के अधीन प्रार्थित अनुज्ञा दी जा सकती है।

(४) कर-निर्धारक-प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन निर्मित नियमों द्वारा उसे प्राप्त हों।

७--(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसे दिनांक पर अथवा उसके पूर्व, जो नियत किया जाय, प्रत्येक क्षेत्रपति से जिसका जोतकर देने का दायित्व हो, नोटिस प्रकाशित करके अपेक्षा करेगा कि ३० दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी के पास, जिन्हें नोटिस में उल्लिखित किया गया हो, क्षेत्रपति नियत रीति से सत्यापित विवरण (verified returns), जिसमें अपने द्वारा इस रूप में उपभुक्त समस्त भूमि का क्षेत्र तथा अन्य व्योरे उल्लिखित हों, प्रस्तुत करे। जोतों के विवरण के सम्बन्ध में नोटिस।

(२) प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति पर भी जो कर-निर्धारक-प्राधिकारी के मत में जोत-कर देने का उत्तरदायी हो, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय नोटिस तामील किया जा सकता है जिसमें उससे अपेक्षा की जायगी कि ऐसी अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय और जो तीस दिन से न्यून न हो, नियत आकार-पत्र में नियत रीति से सत्यापित करके (verified) एक विवरण (return) प्रस्तुत करे। नोटिस के साथ-साथ कर-निर्धारक प्राधिकारी एक नक्शा (statement) भी भेजेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति की जोत का वार्षिक मूल्यांकन तथा उसके द्वारा देय कर के अन्तर्कालीन (provisional) तखमीने प्रदर्शित होंगे। तखमीना ऐसे रूप में तैयार किया जायगा तथा उसमें ऐसे विवरण होंगे, जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारक-प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसे विवरण के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को ऐसी अवधि के लिये, जो तीस दिन से अधिक न हो, बढ़ा सकता है।

(३) यदि क्षेत्रपति, जिस पर धारा ६ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धक के उपबन्ध लागू हों, उपधारा (१) अथवा (२) के अधीन नोटिस के अनुसरण में आय का विवरण प्रस्तुत करता है, तो

वह आय के विवरण के साथ एक प्रख्यापन भी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्वोक्त प्रतिबन्धक के आशयानुसार कर-निर्धारक-प्राधिकारी से संबद्ध वरण (choice) भी बतलायेगा।

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन तामील किया गया नोटिस तत्पश्चात् दोषपूर्ण पाया जाय और नये नोटिस की तामील आवश्यक हो जाय, तो वह कृषि-वर्ष की समाप्ति होने पर भी तामील किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला नोटिस ठीक समय में तामील किया गया हो और उसकी तामील से तीन वर्ष समाप्त न हुये हों।

कर-निर्धारण (assessment)

८--(१) जब कर-निर्धारक-प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा ७ के अधीन तैयार किया गया विवरण ठीक तथा पूर्ण है तो वह जोत का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करेगा और ऐसे विवरण के आधार पर लगाया जाने वाला जोत-कर निर्धारित करेगा।

(२) जब कर-निर्धारक-प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ७ के अधीन तैयार किया गया विवरण अशुद्ध या अपूर्ण है तो वह विवरण भेजने वाले क्षेत्रपति से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को, जो निश्चित किया जाय, या तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो या अपने विवरण की पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करे अथवा कराये।

(३) उपधारा (२) के अधीन निश्चित दिनांक पर या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य पर जो ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पर जिसकी कर-निर्धारक-प्राधिकारी अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् कर-निर्धारक-प्राधिकारी जोत का वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा तथा उस पर लगाये जाने वाले जोत-कर का निर्धारण करेगा।

(४) जब कोई व्यक्ति धारा ७ के अधीन विवरण भेजने में असफल रहे अथवा विवरण भेजने के पश्चात् उपधारा (२) अथवा (३) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहे तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी धारा ७ की उप-धारा (२) के अधीन भेजे गये तखमीनों का उचित ध्यान रखते हुए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर-निर्धारण करेगा।

इस अध्याय के उपबन्धों का विधिक प्रतिनिधि पर लागू किया जाना।

९--यदि क्षेत्रपति धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण पूर्ण होने के पूर्व मर जाय तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी, नियत रीति से उसके विधिक प्रतिनिधि पर नोटिस तामील कर सकता है, और तब इस अध्याय के उपबन्ध, उस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसा विधिक प्रतिनिधि मृत क्षेत्रपति हो।

मांग का नोटिस

१०--जब धारा ८ के अधीन कर-निर्धारण हो गया हो तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी नियत आकार में नोटिस द्वारा मांग प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर-दाता द्वारा देय जोत-कर की धनराशि तथा उस दिनांक अथवा उन दिनांकों को जिनके भीतर कर दिया जाय, निर्दिष्ट करेगा। कर-निर्धारण आज्ञा की एक प्रतिलिपि भी नोटिस के साथ भेजी जायगी।

जोत कर के निर्धारण के विरुद्ध अपील।

११--(१) कोई भी करदाता, जो धारा ८ के अधीन निर्धारित जोत-कर की धनराशि अथवा दर के सम्बन्ध में कर-निर्धारक-प्राधिकारी की आज्ञा से अथवा जोत पर इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व सम्बन्धी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह धारा १० के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर के यहां अपील कर सकता है।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी कमिश्नर अपील गृहीत (admit) कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील न प्रस्तुत करने का समुचित कारण विद्यमान था।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित की जायगी।

(४) कमिश्नर अपील पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जिसे वह उचित समझे, तथा इस आज्ञा की एक-एक प्रति अपीलकर्ता, कर-निर्धारक-प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन जोत-कर तब तक नहीं बढ़ाया जायगा जब तक कि अपीलकर्ता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रदर्शित करने का समुचित अवसर न दिया गया हो।

पुनरीक्षण (Revision)।

१२--(१) माल-बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) या तो स्वयं अथवा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस कर-निर्धारण-प्राधिकारी अथवा उस अपील सुनने वाले प्राधिकारी द्वारा, जिन्होंने वाद या अपील का निर्णय किया हो, की गयी कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकता है, यदि ऐसा प्रतीत हो कि इनमें से किसी ने विधि द्वारा अपने में अनिहित (not vested) क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधता अथवा सारवान अनियमितता की है, तथा इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञाएं पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसी दशा में नहीं लिया जायगा जिसमें आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती थी, किन्तु प्रार्थी ने उसके निमित्त नियत अवधि के भीतर अपील नहीं की ;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि माल बोर्ड सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उस पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई आज्ञा पारित नहीं करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, जिसके विरुद्ध परिवाद (complained of) हो, प्रस्तुत किया जायगा किन्तु माल बोर्ड पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर अग्रेतर अवधि के भीतर (within further period) जो छः महीने से अधिक न हो, प्रार्थना-पत्र ले सकता है।

बोर्ड की आज्ञा अन्तिम होगी।

१३--धारा १२ के अधीन माल बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) द्वारा पारित कोई भी आज्ञा अन्तिम होगी। प्रत्येक ऐसी आज्ञा की एक प्रति कर-दाता, कर-निर्धारक-प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजी जायगी।

पुनरीक्षण (Revision) की प्रक्रिया ।] यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ ।

१४--धारा १२ के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में माल बोर्ड यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ द्वारा अथवा उसके अधीन उल्लिखित प्रक्रिया का जहां तक हो सके, अनुसरण करेगा तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार लागू होंगे, मानों धारा १२ के अधीन कोई कार्यवाही उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायिक कार्यवाही (Judicial proceeding) हो ।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब माल बोर्ड के सदस्यों का मत पुनरीक्षण में की जाने वाली आज्ञा के संबंध में बराबर-बराबर विभक्त हो तो वह विषय निर्णय के निमित्त किसी तीसरे सदस्य के पास अभिदिष्ट किया जायगा ।

जोत जो कर-निर्धारण से रह गयी हो (Land holding escaping assessment) ।

१५--यदि किसी कारणवश कोई जोत जिस पर जोत-कर लगाया जाना चाहिये, किसी वर्ष में कर लगाने से रह गई हो अथवा जिस पर बहुत ही कम दर से कर लगाया गया हो, तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय उस क्षेत्रपति पर, जो ऐसी जोत पर दिये जाने वाले कर के भुगतान का उत्तरदायी हो, ऐसा नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें धारा ७ के अधीन दिये जाने वाले नोटिस की समस्त या किन्हीं आवश्यक बातों का समावेश होगा तथा ऐसा नोटिस तामील हो जाने पर, इस अधिनियम के उपबंध यथासंभव इस प्रकार लागू होंगे मानों नोटिस उक्त धारा के अधीन जारी किया गया नोटिस हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उस दर से लगाया जायगा जिसके अनुसार, यदि ऐसी जोत कर-निर्धारण या पूर्ण-कर-निर्धारण से, जैसी भी दशा हो, रह न गयी होती, तो वह लगाया जाता ।

भूल का सुधार

१६--(१) कोई प्राधिकारी जिसने कर-निर्धारित करने की कोई आज्ञा अथवा यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण में कोई आज्ञा दी हो तो ऐसी आज्ञा दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय स्वयं या किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसी किसी भूल को जो यथास्थिति, कर निर्धारण, अपील अथवा पुनरीक्षण के अभिलेख में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो, सुधार सकता है ;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भूल का ऐसा सुधार उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाय ।

(२) यदि इस प्रकार भूल में सुधार करने से कर-निर्धारण में कमी हो जाय, तो संबद्ध कर-निर्धारक-प्राधिकारी अधिक धनराशि (excess amount) कर-दाता को वापस करने की आज्ञा देगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में, जिससे कर-निर्धारण बढ़ जाता है, यह समझा जायगा कि वह आज्ञा धारा ८, ११ या १२ के, जैसी भी दशा हो, अधीन दी गई आज्ञा है, तथा इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक लागू हो सके, ऐसी आज्ञा पर लागू होंगे ।

अध्याय ४

जोत-कर का भुगतान

जोत-कर के भुगतान का दायित्व ।

१७--धारा ३ के अधीन किसी भी जोत के निमित्त लिया जाने वाला जोत-कर क्षेत्रपति द्वारा देय होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति द्वारा उपभुक्त भूमि में अपने हिस्से के निमित्त क्षेत्रपति द्वारा देय जोतकर सहकारी समिति द्वारा

देय होगा और उसी से वसूल किया जायगा, मानो सहकारी समिति ही कर-दाता हो।

१८---यदि क्षेत्रपति मर जाय तो उसके विधिक प्रतिनिधियों का यह दायित्व होगा कि वे मृतक के आस्थान (estate) में से उस आमति तक जहां तक कि आस्थान कर देने योग्य हो, मृत-क्षेत्रपति द्वारा देय निर्धारित जोतकर अथवा ऐसा कोई जोत-कर दें, जिसे यदि वह मर न गया होता तो उसे इस अधिनियम के अधीन देना पड़ता। विधिक प्रतिनिधि द्वारा देय मृत क्षेत्रपति का कर।

१९---(१) धारा १० के अधीन किसी मांग के नोटिस में अथवा धारा ११ या १२ के अधीन संदिष्ट किसी आज्ञा में निर्दिष्ट जोत-कर की धनराशि चार समान किस्तों में देय होगी। कर कैसे देय होगा।

(२) यथास्थिति, मांग का नोटिस दिये जाने अथवा आज्ञा संदिष्ट किये जाने के दिनांक से दो मास के भीतर पहली किस्त तथा पहली किस्त के देय दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, शेष किस्तें भुगतान की जायंगी।

(३) यदि कोई किस्त उपधारा (२) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती तो यह समझा जायगा कि कर-दाता बाकीदार (in default) है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब कर-दाता ने धारा ११ के अधीन अपील की हो अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण (revision) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो अपील सुनने वाला अथवा पुनरीक्षक-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्रार्थना-पत्र मिलने पर ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अनुसार जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, यह आज्ञा दे सकता है कि कर-दाता के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वह बाकी-दार नहीं है।

अध्याय ५

विविध

२०---कर-निर्धारक, अपील या पुनरीक्षण सुनने वाले प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही अधिकार होंगे जो वाद (suit) पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय को होते हैं, अर्थात्--- शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार। ऐक्ट सं० ५, १९०८।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा सत्य-प्रतिज्ञान (affirmation) पर उसका साक्ष्य लेना ;

(ख) किसी लेख्य (document) को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(ग) किसी साक्षी का वक्तव्य लेने (examination) के लिए आयोग (commission) जारी करना,

तथा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की गयी ऐसी कोई कार्यवाही इण्डियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के निमित्त भी "न्यायिक कार्यवाही" (judicial proceeding) समझी जायगी। ऐक्ट सं० ४५, १८६०।

कर के भुगतान के सम्बन्ध में बाकीदार होने पर शास्ति।

२१--(१) यदि कर-दाता जोत-कर की किसी किस्त के भुगतान का बाकीदार हो, तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी स्वविवेक से यह आदेश दे सकता है कि कर-दाता से बकाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि भी शास्ति (penalty) के रूप में वसूल की जाय जो उस धनराशि के आठवें भाग से अधिक न हो।

(२) कर-दाता पर मांग का नोटिस, जिसमें शास्ति की धनराशि प्रदर्शित रहेगी, नियत रीति से तामील किया जायगा।

शास्ति के विरुद्ध अपील।

२२--यदि कोई कर-दाता जिसे धारा २१ के अधीन अपने पर लगायी गयी शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसे शास्ति के निमित्त किसी दायित्व को न मानता हो, उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर को अपील कर सकता है और तब धारा ११ की उपधारा (२) से (४) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा ११ के अधीन अपील अथवा धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र पर धारा ८ के अधीन किया गया कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाय अथवा जोत-कर की धनराशि कम कर दी जाय तो धारा २१ के अधीन लगायी गयी शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, अपलिखित (written off) अथवा आनुपातिक रूप से कम की हुई समझी जायगी।

इस अधिनियम के अधीन देय धनराशियों की वसूली।

२३--(१) कर-निर्धारक-प्राधिकारी की प्रार्थना पर, कलेक्टर--

(क) यदि कोई कर-दाता बाकीदार हो तो जोत-कर के रूप में निर्धारित धनराशि को, तथा

(ख) धारा २१ के अधीन शास्ति के रूप में लगायी गयी किसी धनराशि को,

उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह मालगुजारी की बकाया (as arrears of land revenue) हो :

यू० पी० ऐक्ट सं० ३,१९०१। उ०प्र० अधिनियम सं० १,१९५१।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४६ के खंड (सी०), (ई०), (एफ०) या (एच०), अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के खंड (ग) और (च) में उल्लिखित प्रसर (processes) उक्त अधिनियमों की उक्त धाराओं में उल्लिखित अन्य प्रसरों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि को वसूल करने की कोई कार्यवाही उसके देय होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ नहीं की जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अभिदिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना :

(१) यदि कर-दाता धारा १९ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धक के अधीन जब तक उसकी अपील अथवा पुनरीक्षण

(revision), अनिस्तारित (undisposed of) रहे बाकीदार नहीं समझा गया हो तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर अपील अथवा पुनरीक्षण का निस्तारण हो जाय ;

(२) यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी की आज्ञा से किसी मामले में वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर आज्ञा वापस ली गयी हो, और

(३) यदि किसी प्राधिकारी द्वारा जोत-कर भुगतान करने का दिनांक बढ़ा दिया गया (extended) हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस तक भुगतान के लिए समय बढ़ाया गया हो।

दीवानी न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर रोक।

२४--इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिए कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा तथा किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जिसे उसने इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया हो, अथवा जिसे इस प्रकार करने का अभिप्राय हो, कोई भी अभियोग या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)।

२५--राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा अपने को मिले कोई भी अधिकार, ऐसे निरोधों अथवा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, प्रयोग करने के निमित्त प्रतिनिहित (delegate) कर सकती है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति।

२६--कोई भी क्षेत्रपति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना हो या उपस्थित होने का अधिकार हो, तो वह स्वयमेव व्यक्तिगत रूप से अथवा यथोचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा (through a duly authorized agent) उपस्थित हो सकता है।

नोटिस की तामील। ऐक्ट सं० ५, १९०८।

२७--इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा मांग-पत्र (requisition) तद्धीन नामोद्दिष्ट व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानों वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्रचारित समन (आह्वान-पत्र) हो।

निरसन (repeal)। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९।

२८--(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट निरस्त (repeal) हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४।

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (१) के अधीन निरसन (repeal) का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा--

(क) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट का कोई पूर्व व्यापार (operation) अथवा उसके अधीन की गई या सहन की गई कोई बात (anything done or suffered thereunder); अथवा

(ख) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के अधीन उपार्जित (acquired), उत्पन्न (accrued) या उपगत (incurred) कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व; अथवा

(ग) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत (incurred) कोई शास्ति (penalty), जब्ती (forfeiture) या दण्ड, अथवा

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति (penalty), जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान (investigation), विधिक कार्यवाही (legal proceeding) या प्रत्युपाय (remedy);

और ऐसा कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही अथवा प्रत्युपाय (remedy) प्रारम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड लगाया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

नियम बनाने का अधिकार।

२९--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन, नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्

(क) वे सिद्धान्त जिनके आधार पर और वह रीति जिसके अनुसार, धारा ३ के अधीन कर में छूट दी जाये या उसे माफ किया जाये;

(ख) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर और रीति जिसके अनुसार स्वीकृत मौरूसी दरों में धारा ५ के अधीन वृद्धि की जाय;

(ग) ऐसे विवरण-पत्र का आकार (form) जो धारा ७ के अधीन प्रस्तुत किया जाय और उसको प्रस्तुत करने की रीति;

(घ) प्रख्यापन (declaration) का आकार (form) जो धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किया जाये;

(ङ) प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन कर निर्धारित किया जायगा;

(च) वह रीति जिससे और वे सिद्धांत जिनके आधार पर धारा १७ के प्रतिबन्धक के अधीन सहकारी समिति द्वारा देय कर निर्धारित किया जायगा;

(छ) उन नोटिसों के आकार जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी करने आवश्यक हों और उनके प्रकाशन की रीति;

(ज) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों,

पुनरीक्षणों तथा अन्य व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(झ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने की कालावधि;

(ञ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क;

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हिसाब की बहियों तथा अन्य रजिस्टरों, विवरणों (returns) तथा नक्शों (statements) को रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(ठ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रमण (transfer); तथा

(ढ) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जिन्हें विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

जोत-कर की दर

१—वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ३,२०० रु० पर	प्रति रु० ५ नये पैसे
३—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ५,००० रु० पर	प्रति रु० १० नये पैसे
४—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर ..	प्रति रु० २५ नये पैसे

५—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर . . . . प्रति रु० ४० नये पैसे

६—वार्षिक मूल्यांकन के अवशेष (Balance) पर... प्रति रु० ६० नये पैसे

उपर्युक्त दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन हैं कि :—

(क) यदि वार्षिक मूल्यांकन ३,६०० रु० से अधिक न हो तो जोत-कर देय न होगा, तथा

(ख) यदि वार्षिक मूल्यांकन ५,००० रु० से अधिक न हो तो देय जोत-कर उस राशि के आधे से अधिक नहीं होगा जो ३,६०० रु० के वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर हो ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०— १५३ जनरल (जिस्लेटिव)—१९५७—१,७४८ ।